

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-670/2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

भैया राम पहान.....आवेदक/विक्रेता

स्नेहलता आईन्द.....क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

} प्रथम पक्ष

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02.02.2024

आदेश

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती भैया राम पहान पिता/पति स्व0 चरका पहान ग्राम-राजा कुंजला, पो0-विचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
कुंजला	249	18	1785	0.07½

आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती भैया राम पहान पिता/पति स्व0 चरका पहान ग्राम-राजा कुंजला, पो0-विचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती स्नेहलता आईन्द पिता/पति अभिषेक वारला ग्राम-विचना, पो0-विन्दा, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।

आवेदक/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान तथा लगान की रसीद सं0 0681900730 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तागिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की विक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 35 दिनांक 25.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के पोता हैं। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ठ सं0 23 पर जमाबंदी दर्ज है।

(4)

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, मुरहू के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 1161 दिनांक 30.12.2023 के साथ अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCC/2018/1317835 दिनांक 09.10.2018 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2018/1093963 दिनांक 28.10.2018 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 35 दिनांक 25.01.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती भैया राम पहान पिता/पति स्व० चरका पहान ग्राम-राजा कुंजला, पो०-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती श्री/श्रीमती स्नेहलता आईन्द पिता/पति अभिषेक वारला ग्राम-बिचना, पो०-बिन्दा, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी के साथ ग्राम कुंजला के खाता सं० 18, खेसरा संख्या 1785, कुल रकवा 0.07½ एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।